

अलॉट/र/र/ राजेन्द्र/र/र 10/1/18

दिनांक	आज्ञा पत्र	क्रमांक
--------	------------	---------

29.11.23

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपील/रेस्पोंडेंट/उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज..... पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक..... को पेश हो।

11.7.23

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपील/रेस्पोंडेंट/उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज..... पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक..... को पेश हो।

28.11.23

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपील/रेस्पोंडेंट/उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज..... पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक..... को पेश हो।

30.11.23

पत्रावली पेश वकील अपील को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपीलांत में रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलांत अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलांत आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है, निर्णय पर इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर के कम होकर बाद तत्पश्चात् तत्कालीन दाखिल टफतर हो।

श्री प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
सीकर (केम्प डुन्डान)

